परिपत्र सं. 950/01/2011-सीएक्स

फा.सं. 126/1/2009-सीएक्स-3

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक

सेवा में,

सभी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,
सभी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क,
सभी महानिदेशक सीबीईसी
एस एस एस एस एस

विषय : क्लोरोपैराफिन/ क्लोरिनीकृत पैराफिन का वर्गीकरण- की बावत

IndiaCode

महोदया/ महोदय,

अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि क्लोरिनीकृत पैराफिन/ क्लोरो पैराफिन के वर्गीकरण के संबंध में क्षेत्रीय संगठन भिन्न कार्य प्रणाली का अनुसरण कर रहे हैं यह कहा गया है कि केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के अध्याय 38 के तहत उक्त वस्तुओं के वर्गीकरण की बृहत तथा मौजूदा कार्यप्रणाली के विरुद्ध है। कुछ क्षेत्रीय अधिकारी इनका वर्गीकरण बजट 2010 से पहले की अवधि के दौरान अध्याय 27 के तहत कर रहे थे।

2. बोर्ड ने मामले की जांच परख कर ली है। 'पैराफिन' शब्द सामान्यत: हाइड्रोकार्बन के ऐसे समूह को सूचित करता है जिनमें 1 से 30 के बीच के कार्बन अणु समाहित होते हैं। जैसे कार्बन अणुओं की संख्या बढ़ती है पैराफिन अपनी गैस से तरल से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। पैराफीन का निम्नतर, 'मीथेन' जिसका एक कार्बन अणु होता है कमरे के तापमान पर गैस है जबकि ओक्टेन जिसके आठ कार्बन एटम हैं एक तरल है। इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे कार्बन एटम से 19 तथा 30 तक पहुंचती हैं तो वह मोम की विशेषताओं जैसे ठोस हो जाते हैं।

3. दूसरी ओर, क्लोरिनीकृत पैराफीन/ क्लोरोपैराफीन रासयनिक परिवर्तनों के द्वारा प्राप्त किए गए रसायन जैसे कि पैराफीन की विभिन्न सीधी श्रृंखलाओं को क्लोरीन की संख्या तथा 40% से 70% तक की सीमा वाले पैराफीन मोम अंतिम प्रयोग तथा फीड स्टाक पर निर्भर है।

4. क्लोरिनीकृत पैराफीन/ क्लोरोपैराफीन (तरल रूप में) के वर्गीकरण के संबंध में शीर्ष 38.24 के तहत एचएसएन स्पष्टीकरण टिप्पणी (ख) (9) स्पष्ट करती है कि तरल रूप में क्लोरोपैराफीन शीर्ष 3824 के तहत आते हैं।

5. क्लोरोनीकृत पैराफीन मोम (तरल रूप में) के वर्गीकरण के संबंध में, एचएसएन स्पष्टीकरण टिप्पणी सीईटीएच का शीर्षक 27.12 स्पष्ट करता है कि लिग्नाइट मोम या अन्य खनिज मोम के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा प्राप्त कृत्रिम मोम शीर्ष 34.04 में वर्गीकृत है। 2010 के बजट में क्लोरिनीकृत पैराफीन मोम वाले विशिष्ट उपशीर्षक 27122010 को टैरिफ से विलोपित कर दिया गया है। इसलिए यह मद केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के 3404.90 के तहत वर्गीकरण योग्य है।

6. तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि :

(क) क्लोरिनीकृत पैराफिन/ क्लोरोपैराफिन (तरल रूप), केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम के उपशीर्षक 3824 के तहत वर्गीकरण योग्य है।

(ख) बजट 2010 के पश्चात केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम के उपशीर्षक 3404.90 के तहत क्लोरिनीकृत पैराफिन मोम वर्गीकरण योग्य है।

7. व्यापार तथा क्षेत्रीय संगठनों को उपर्युक्त रूप से सूचित किया जाएगा।

8. परिपत्र की रसीद को अभिस्वीकृत किया जाएगा।

IndiaCode

भवदीय,

(डा. रवीन्द्र जे. डांगे)
अवर सचिव (सीएक्स-3)